ऑन लाईन नं. **RCMS 2020/00061**

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 21/2020

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कोठा पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत कोठा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोठा पंचायत समिति, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दिलेर सिंह पुत्र श्री धारा सिंह जाति रायसिख निवासी गांव कोठा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 20.03.1988 जिसकी रूह से जोहड़ की भूमि का गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा आवंटन किया गया को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री ऋषिराज ओझा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02

:: आदेश :: **दिनांकः 19.07.2024**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " ग्राम पंचायत कोठा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र कमांक पंसग/पं.शा/12019–20/164 दिनांक 20.03.2020 के द्वारा प्रार्थी को ग्राम पंचायत कोठा में जोहड़ पायतन के जगह पर अधिकृत रूप से जारी पट्टो को निरस्त करवाने के लिए व अतिक्रमण हटाने के लिए प्रार्थी अधिकृत है। प्रार्थी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक कमांक–पंसग/पं.शा/2019–20/ दिनांक 23.12.2019 के आधार पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। उक्त प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पूर्व उप सरपंच दिलेर सिंह द्वारा एक निगरानी संख्या 16/15 ग्राम पंचायत कोठा बनाम निर्मल सिंह आदि श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमसें दिनांक 22.02.2017 को श्रीमान द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मौका पर कमेटी बनाकर जोहड़ पंचायत के सम्बन्ध में जांच कर अगर गैर निगरानीकर्ता को जोहड़ पायतन पर कब्जा हो तो उसके सम्बन्ध में प्रत्येक पट्टा के विरूद्व अलग–अलग निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। आदेश दिनांक 22.02.2017 के विरूद्व दिलेर सिंह द्वारा एक रिट याचिका संख्या

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

11110/2017 माननीय उच्च न्यायलाय में प्रस्तुत की जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा गया, उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2017 की पालना में विकासा अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को जांच पूर्ण कर ली गई है व विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2020 को प्रार्थी को निगरानीयां प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है। इसलिए बिना किसी देरी के ग्राम पंचायत से समस्त दस्तावेज प्राप्त कर अधिवक्ता से कानूनी राय ली जाकर श्रीमान न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

1. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दिया गया आदेश दिनांक 20.**03.1988** बिना सुनवायी का अवसर दिये एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2019 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है उससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जो आवंटन किया गया था वह जोहड़ पायत की भूमि में स्थित था इसके सम्बन्ध में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि भी सलंग्न की जा रही है जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा कब्जा शुदा भूमि जोहड़ पायतन में होनी पायी गई है। जोहड़ पायतन भूमि में आवंटन करने का ग्राम पंचायत को कोई भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
3. यह कि ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आवंटन के समय पंचायतराज अधिनियम 1961 व अन्य नियमों की पालना नहीं की गई। पट्टा पत्रावली का संधारण नहीं किया, ना ही अप्रार्थी से आवेदन प्राप्त किया, ना ही आवेदन शुल्क जमा करवाया, ना ही पंच कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया, ना ही पंच कमेटी द्वारा कोई रिपोर्ट पेश की गई कि उक्त जगह जोहड़ पायतन की नहीं है और ना ही आबादी भूमि होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई, ना ही आवंटन की पुष्टि पंचायत समिति स्तर पर करवायी गई। सरंपच द्वारा गलत रूप से निःशुल्क आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई नक्शा भी स्वीकृत नहीं करवाया गया।
4. यह कि उक्त आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के उप सरपंच दिलेर सिंह द्वारा शिकायत करने पर जांच होने पर गलत रूप से जोहड़ पायतन में आवंटन का मामला सामने आने पर प्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर के निर्देशों को बिना किसी देरी के ग्राम पंचायत से दस्तावेज प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
5. यह कि निगरानी श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत की जा रही है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 20.**03.1988** जिसकी रूह से जोहड़ की भूमि का गलत रूप

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

से अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा आवंटन किया गया को निरस्त किया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत कोठा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक पंसग/पं.शा/ 12019–20/164 दिनांक 20.03.2020 के द्वारा प्रार्थी को ग्राम पंचायत कोठा में जोहड़ पायतन के जगह पर अधिकृत रूप से जारी पट्टो को निरस्त करवाने के लिए व अतिक्रमण हटाने के लिए प्रार्थी अधिकृत है। प्रार्थी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक क्रमांक–पंसग/पं.शा/2019–20/ दिनांक 23.12.2019 के आधार पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। उक्त प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पूर्व उप सरपंच दिलेर सिंह द्वारा एक निगरानी संख्या 16/15 ग्राम पंचायत कोठा बनाम निर्मल सिंह आदि श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमसें दिनांक 22.02.2017 को श्रीमान द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मौका पर कमेटी बनाकर जोहड़ पंचायत के सम्बन्ध में जांच कर अगर गैर निगरानीकर्ता को जोहड़ पायतन पर कब्जा हो तो उसके सम्बन्ध में प्रत्येक पट्टा के विरूद्व अलग–अलग निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। आदेश दिनांक 22.02.2017 के विरूद्व दिलेर सिंह द्वारा एक रिट याचिका संख्या 11110/2017 माननीय उच्च न्यायलाय में प्रस्तुत की जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा गया, उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2017 की पालना में विकासा अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को जांच पूर्ण कर ली गई है व विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2020 को प्रार्थी को निगरानीयां प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है।

1. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दिया गया आदेश दिनांक **20.03.1988** बिना सुनवायी का अवसर दिये एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है
2. यह कि जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2019 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है उससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जो आवंटन किया गया था वह जोहड़ पायत की भूमि में स्थित था इसके सम्बन्ध में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि भी सलंग्न की जा रही है जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा कब्जा शुदा भूमि जोहड़ पायतन में होनी पायी गई है। जोहड़ पायतन भूमि में आवंटन करने का ग्राम पंचायत को कोई भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
3. यह कि ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आवंटन के समय पंचायतराज अधिनियम 1961 व अन्य नियमों की पालना नहीं की गई। पट्टा पत्रावली

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

का संधारण नहीं किया, ना ही अप्रार्थी से आवेदन प्राप्त किया, ना ही आवेदन शुल्क जमा करवाया, ना ही पंच कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया, ना ही पंच कमेटी द्वारा कोई रिपोर्ट पेश की गई कि उक्त जगह जोहड़ पायतन की नहीं है और ना ही आबादी भूमि होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई, ना ही आवंटन की पुष्टि पंचायत समिति स्तर पर करवायी गई। सरपंच द्वारा गलत रूप से निःशुल्क आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई नक्शा भी स्वीकृत नहीं करवाया गया।

4. यह कि उक्त आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के उप सरपंच दिलेर सिंह द्वारा शिकायत करने पर जांच होने पर गलत रूप से जोहड़ पायतन में आवंटन का मामला सामने आने पर प्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर के निर्देशों को बिना किसी देरी के ग्राम पंचायत से दस्तावेज प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। निगरानी पेश करने के लिए धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत कोई मियाद अवधि नहीं है। अवैध आदेश के विरूद्व कभी भी निगरानी पेश की जा सकती है। जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां संलग्न है।

5. यह कि सुप्रीमकोर्ट के द्वारा भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जोहड़ पायत की भूमि पर किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है तो ऐसा आवंटन प्रथमदृष्टया अवैध व शून्य है और सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोट्र द्वारा निर्देश जारी किये गये है। निर्णयों की प्रतियां संलग्न है व राज्य सरकार के परिपत्रों की प्रतियां भी संलग्न बहस है।

अतः लिखित बहस श्रीमानजी की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जों आवंटन किया है उसे निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत कोठा द्वारा गुरदयाल सिंह करतार सिंह गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 को जो अहाता आवंटित किया गया था। वह सही आवंटन किया गया है। आवंटन की रोज से मुझ प्रार्थी का उक्त आहाता पर कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थी को कब्जा के आधार पर जारी पट्टा बहाल रखने का आदेश प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांकः–पसग/2019–20/दिनांक 23.12.2019 अनुसार " उक्त विवादित प्लाट से सम्बन्धित भूमि गैरमुमकिन जोहड़ की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

2.5290 हैक्टेयर में सम्मलित है जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। सर्वेअनुसार 127 परिवारों में से 21 परिवारों के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गये है जिन्हें अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर की निगरानी संख्या 16/2015 के निर्णय की पालना में प्रत्येक पट्टे के विरूद्व पृथक-पृथक निगरानी राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के प्रावधानुसार सक्षम न्यायालय में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की जानी है। जिसमें उक्त गैरनिगरानीकर्ता दिलेर सिंह पुत्र श्री धारा सिंह के प्लाट (अहाता) भी शामिल है। उक्त रिपोर्ट अनुसार दिलेर सिंह पुत्र श्री धारा सिंह निवासी कोठा का उक्त विवादित (अहाता) भूखण्ड जोहड पायतन की भूमि में आता हैं।'' अतः निगरानी में वर्णित पट्टे की भूमि की किस्म **जोहड पायतन** होने से आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी भूमि आबादी भूमि न होकर सार्वजनिक भूमि है। जोहड पायतन भूमियां सरकारी भूमि है। विकास अधिकारी पंचायत श्रीगंगानगर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर की निगरानी संख्या 16/2015 के निर्णय की पालना में पट्टों को खारिज करने के लिए बाकायदा ग्राम विकास अधिकारी को निगरानी पेश करने के लिए लिखा भी है। यह पट्टा **राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(146)राज-7/2011 जयपुर, दिनांक 26-06-12** में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-11, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-05-12 के आलोक में भी निषिद्ध है तथा इसमें पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश है। लिहाजा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जोहड पायतन की भूमि पर गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 के पक्ष में जारी निगरानीधीन पट्टा दिनांक 20.**03.1988** को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्री गंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)